

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)



क्र. ४६१/एम.आई.सी. सचिव/न.पा.नि./2018
प्रति,

रायगढ़, दिनांक 23/03/18

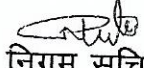
संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
नया मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर परिषद की बैठक दिनांक 13/03/2018 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर परिषद की बैठक दिनांक 13/03/2018 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

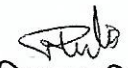
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. ४६१/एम.आई.सी.सचिव/न.पा.नि./2018
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 23/03/18

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. एम.आई.सी. प्रभारी श्री/श्रीमती/सुश्री की ओर सूचनार्थ।
7. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाइट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
8. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)



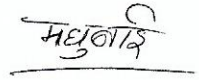
कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ (छ.ग.)

महापौर परिषद बैठक दि.13.03.2018 समय 12:00 बजे

प्रस्ताव क्र. 01 – पुनरीक्षित बजट वर्ष 2017-18 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2018-19 स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

संकल्प क्र. 01 – प्रकरण प्रस्तुत हुआ। वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित एवं अनुमानित वर्ष 2018-19 का निम्नानुसार बजट की अनुशंसा की जाती है। परिषद् सम्मिलन में रखा जावे।

क्रमांक	मद	वर्ष 2017-18 की पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2018-19 का बजट अनुमान
1	राजस्व आय	5,251.75	8,213.00
2	पूंजीगत आय	1,633.33	21,950.00
3	कुल आय (1+2)	6,885.08	30,163.00
4	राजस्व व्यय	2,974.08	7,815.50
5	पूंजीगत व्यय	1,196.60	21,833.50
6	कुल व्यय, (4+5)	4,170.68	29,649.00
7	शेष (3-6)	2,714.40	514.00



प्रस्ताव क्रमांक 02 :- वर्ष 2018-19 हेतु संपत्तिकर का निर्धारण हेतु प्रस्ताव

जोन क्रमांक 01- रेल्वे फाटक से सुभाष चौक, हटरी चौक से लक्ष्मीपुर चौक, ढिमरापुर चौक उर्दना रोड सीमा तक। रेल्वे स्टेशन से बसंतमाला चौक, स्टेशन रोड गांधी गंज, गांधी प्रतिमा से रामनिवास टॉकीज चौक मालधक्का रोड। गांधी प्रतिमा से श्याम टॉकीज के चारो तरफ, बूजी भवन रोड, सदर हटरी गुरुद्वारा रोड, नई सड़क। रामनिवास चौक से गोपी टॉकीज रोड नया गंज, शहीद चौक, केलो पुल होते हेमू कॉलोनी चौक चक्रधर नगर चौक एवं सरला विरला से दुर्गा चौक से बोईरदादर चौक। श्रृंगार होटल से गौरीशंकर मंदिर रोड, न्यू मार्केट आग्रोहा भवन रोड मोड़ा कॉलोनी से गोदरी चौक। गद्दी चौक से पैलेस रोड हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड मुंशी गली गांजा चौक। बसंतमाला चौक से सिविल लाईन सत्तीगुडी चौक घड़ी चौक थाना रोड थाना के चारो तरफ किरोड़ीमल कॉलोनी, घड़ी चौक से लक्ष्मीपुर चौक। गांधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सड़क सेवाकुंज रोड हंडी चौक, गौशाला रोड चारो तरफ। सत्तीगुडी चौक से कामर्स कॉलेज रोड होते हुये बाईपास, ढिमरापुर चौक सी.एम.ओ. तिराहा भगवान पुर रोड से निगम सीमा तक। जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमंजिला (फ्लेट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक 02- बीड़पारा, सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली, पक्की खोली। चोंदनी चौक, सोनार पारा रोड सर्किट हाउस तक। हेमू कॉलाणी चौक से बेलादुला रोड सर्किट हाउस से उर्दना रोड। शहीद चौक से जूना बड़पारा, चोंदनी चौक होते बस स्टैण्ड, जंजघर रोड कोष्टापारा। एस. पी. बगला से आठले घर होते दरोगापारा सड़क, सत्तीगुडी चौक से बैकुण्ठपुर रोड होते हुये दशरथ पान ठेला तक। रेल्वे क्रासिंग से कबीर चौक उड़ीसा रोड सीमा तक। अटल चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उड़ीसा रोड बायपास कांशीराम चौक निगम सीमा तक। अटल चौक से छातामुड़ा होते हुये सहदेवपाली निगम सीमा तक। गोगा राईस मील से मिठठूमुड़ा दुर्गा चौक तक। दुर्गा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक तक, विश्वासगढ़ चर्च रोड से लकड़ी टाल होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक। चक्रधर नगर रेल्वे क्रासिंग से अतरमुड़ा रोड टी.वी. टॉवर रोड पहाड़ मंदिर रोड, चक्रधर नगर से कसेरपारा तक बोईरदादर चौक से विजयपुर निगम सीमा तक। जोगीडीपा पुल से इंदिरानगर होते रामपुर रोड तक। गौशाला चौक से बैकुण्ठपुर रामभाठा डिपो रोड होते ढिमरापुर रोड तक। डिग्री कॉलेज से टी.वी.टॉवर रोड होते नगर निगम सीमा तक। जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमंजिला (फ्लेट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक 03- जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सड़कों से मिलते हों

जोन क्रमांक 04- जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सड़कों से मिलते हों

संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर प्रति वर्गफीट

जोन क्रमांक	निर्मित भवन का दर प्रति वर्गफीट				भूमि का दर प्रति वर्गफीट	
	आवासीय			व्यवसायिक		
	पक्का	कच्चा	आंशिक पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	17.00	9.00	15.00	19.00	11.00	15.00
02	15.00	7.00	13.00	17.00	9.00	12.00
03	7.00	3.00	6.00	9.00	5.00	7.00
04	5.00	2.00	4.00	7.00	3.00	5.00
05	निगम सीमा के अंदर समस्त औद्योगिक भूमि एवं भवन का दर - भूमि 25.00 प्रति वर्गफीट, निर्मित भवन 40.00 प्रति वर्गफीट					

वार्षिक भाड़ा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :-

1. वार्षिक भाड़ा मूल्य	6001 /- से 20,000 /- तक	-	6 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य	20,001 /- से 50,000 /- तक	-	8 प्रतिशत
3. वार्षिक भाड़ा मूल्य	50,001 /- से 80,000 /- तक	-	10 प्रतिशत
4. वार्षिक भाड़ा मूल्य	80,001 /- से 1,00,000 /- तक	-	12 प्रतिशत
5. वार्षिक भाड़ा मूल्य	1,00,001 /- से 1,20,000 /- तक	-	15 प्रतिशत
6. वार्षिक भाड़ा मूल्य	1,20,001 /- से 2,00,000 /- तक	-	18 प्रतिशत
7. वार्षिक भाड़ा मूल्य	2,00,001 /- से अधिक	-	20 प्रतिशत

शिक्षा उपकर :- प्रत्येक भूमि/भवनों का निर्धारण पश्चात संपत्तिकर की राशि में 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा।

समेकित कर :-1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000 रु. तक 300.00 रु. 6001 से उपर 600.00 रु. की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा।

2. शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमों के संपत्ति) पर जो संपत्तिकर से मुक्त है ऐसी भवनों पर समेकित कर 600.00 रु. प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा।

संपत्तिकर में छूट :-

1. न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रदत्त छूट।
2. भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।
3. नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट।
4. ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही हो तथा भवनों से संलग्न रिक्त भूमि (मार्जिनल ओपन स्पेस) वार्षिक भाड़ा मूल्य के गणना के प्रयोजन से मुक्त होगी।
5. EWS मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी, समेकित कर अन्य कर देय होगा।
6. 500 वर्गफीट तक के कच्चा मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी समेकित कर अन्य कर देय होगा।
7. धारा 137 के तहत वर्ष 2018-19 का संपत्तिकर 31 जुलाई 2018 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, 31 अक्टूबर 2018 तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं को मिलेगी। बिना छूट के 31 मार्च 2019 तक देय होगा। 31 मार्च पश्चात सरचार्ज वार्षिक 6 प्रतिशत तथा की दर से देय होगा।
8. चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति तक स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर संपत्तिकरदाता भवन स्वामी को एक हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

क्रमांक 02-भवन नामांतरण शुल्क :- वर्तमान शुल्क-500/- रु. प्रस्तावित-2000/-रु.

क्रमांक 03-दुकान किराया :- वर्तमान वार्षिक 12 प्रतिशत, प्रस्तावित मासिक एवं वार्षिक 12 प्रतिशत

क्रमांक 04-विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क :- स्वयं के निजी भवन /भूमि पर लगे होर्डिंग बोर्ड प्रतिवर्गफीट वर्तमान 25/- प्रस्तावित - 45/-

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृति की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

निर्णय क्रमांक 2 :- प्रकरण प्रस्तुत हुआ कार्यलयीन प्रतिवेदन अनुसार अनुशंसा सहित प्रस्ताव परिषद में रखा जावे।

प्रस्ताव क्र. 03 - नगर पालिक निगम द्वारा रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत अमृत योजनांतर्गत विभिन्न पांच स्थानों पर पानी टंकी एवं गोवर्धनपुर में जल शोधन संयंत्र, पेयजल आपूर्ति एवं जल पाईप लाईन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए चिन्हित आवश्यक भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें घास/छोटे-बड़े पेड़ के जंगल/नजूल भूमि/राजस्व नक्शे में अंकित है, जिसकी मांग हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- अमृत योजनांतर्गत नगर निगम रायगढ़ के द्वारा जल आवर्धन के कार्य सहदेवपाली, अमलीभौना, कृष्णापुर एवं विजयपुर में पानी टंकी का निर्माण तथा गोवर्धनपुर में जलशोधन पेयजल आपूर्ति एवं जल आपूर्ति संयंत्र की स्थापना हेतु चिन्हित किये गये भूमि को निगम पक्ष में हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रस्ताव कलेक्टर महोदया को प्रेषित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है।

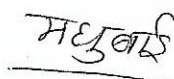
प्रस्ताव क्र. 04 -राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर का पत्र क्र. 9/सूडा/HFA/ 2018/534-3/1519 नया रायपुर, दिनांक 03.02.2018 प्राप्त हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन के HFAPOA AIP निर्माण के लिए वार्षिक कार्य योजना हेतु शासन द्वारा पिल्लीवार एण्ड एसोसिएट द्वारा नियुक्त वार्षिक कार्य योजना तैयार किया गया है, स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- प्राक्कलन का अवलोकन किया गया पिल्लीवार एण्ड एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन के विभिन्न घटक हेतु वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्ताव क्र. 05 - नगर पालिक निगम, रायगढ़ की ओर से स्थानीय न्यायालय में पैरवी हेतु 05 अधिवक्ताओं की समय वृद्धि माह जनवरी 2018 से जून 2018 तक किये जाने हेतु तथा श्री शुभमय दास गुप्ता को श्री यशवंत षड़ंगी के निधन उपरांत मानदेय पर रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- प्रकरण प्रस्तुत हुआ प्रस्ताव अनुसार सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।





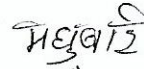
प्रस्ताव क्र. 06:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत प्राप्त 16(सोलह) हितग्राहियों में से पात्र 11 हितग्राहियों को 20 हजार रुपये प्रति हितग्राही दिये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- प्रकरण प्रस्तुत हुआ कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।

प्रस्ताव क्र. 07:- केबड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड स्थित काम्प्लेक्स के दुकान क्र. 01 से 06 तक के भवन की स्थिति खराब होने के कारण प्रत्येक दुकानों के बरामदा के मध्य में दिवाल खड़ा करने तथा प्रत्येक दुकानों के सामने ग्रील गेट लगाये जाने हेतु आवेदन पत्र किरायेदारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- प्रकरण प्रस्तुत हुआ केबड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड स्थित काम्प्लेक्स भवन की स्थिति में सुधार हेतु दुकानों के बरामदा के मध्य में स्वयं के व्यय से दिवाल खड़ा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कार्य कार्यपालन अभियंता, न.पा.नि. रायगढ़ की निगरानी एवं निर्देशानुसार कार्य कराया जावे।


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़(छ.ग.)


महापौर
नगर पालिक निगम
रायगढ़